तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **रतनसिंह बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम. प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 188/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-07-2022	अपीलार्थी रतनसिंह पुत्र श्रवणसिंह निवासी तिवारियों की ढाणी, ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.05.2022 में (1) सार्वजनिक भूमि संरक्षण सेल से संबंधित परिवादी ने दि0 14.05.2021 को प्रस्तुत आवेदन (ग्राम हरियाढाणा) के खसरा नम्बर 948 व 1005 कटाणी रास्तों से अतिक्रमण हटाने बाबत् के आवक रजिस्टर दर्ज क्रमांक व दिनांक सूची मय परिवाद की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 881 दिनांक 01.07.22 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कार्यालय हाजा से संबंधित होने के कारण धारा 5(4) के तहत कार्यालय के पत्रांक 707 दिनांक 30.05.2022 द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु अभी तक सूचना अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में धारा 5(5) के तहत प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कार्यालय हाजा को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कराने की प्रार्थना की। चूंकि चाही गई सूचना राजस्व अनुभाग,कार्यालय हाजा से संबंधित है तथा उनके प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	